दिनांक 31 मई 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 31 मई 2019 को सुबह बराद सदन के बैठक कक्ष में महाविद्यालय विकास परिषद की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे, - अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री देवाशीष पाल, - सदस्य
   वित्त अधिकारी
3. प्रो. ए.एस.चंदेल, - सदस्य
   पुस्तकालयाध्यक्ष
4. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, - सदस्य
   प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
5. प्रो. एन. सत्यनारायण, - सदस्य
   प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
6. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
   छात्र कल्याण डीन
7. श्री डी.के. प्रधान, - सदस्य
   निदेशक एवं विशेष सचिव
   उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा
   सिक्किम सरकार
8. डॉ. परशुराम पौड्याल, - सदस्य
   प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय
9. डॉ. (श्रीमती) आरती छेत्री, - सदस्य
   प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय
10. डॉ. सत्यदीप छेत्री, - सदस्य
    सह प्राध्यापक,
    नर बहादुर भण्डारी महाविद्यालय
11. श्री टी.के.कौल, - सचिव
    कुलसचिव

श्रीमती केसांग डोमा भूटिया, प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग पूर्व निर्धारित कार्य के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रो. ज्योति प्रकाश तमांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ, प्रो. नवल के. पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ और डॉ. सुदर्शन तमांग, सहायक प्राध्यापक, रासायनिकी विभाग ने

विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया। परिषद की सहायता के लिए बैठक में संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी :

खंड 1
कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी.11.1.1: दिनांक 14 नवंबर 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

दिनांक 14 नवंबर 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त 20 नवंबर 2018 को सभी सदस्यों को वितरित किए गए। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

दिनांक 14 नवंबर 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 20 नवंबर 2018 को प्रसारित के रूप में पुष्टि की गई।

सीडीसी.11.1.2: दिनांक 14 नवंबर 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने 14 नवंबर 2018 को आयोजित परिषद की 10 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

खंड 2
सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड 3
अनुसमर्थित विषय

सीडीसी.11.3.1: संशोधित परीक्षा, सुधार शुल्क आदि के लिए समिति की रिपोर्ट

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के डीन प्रो. नवल के। पासवान ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने 16 जनवरी 2019 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 16/2019 द्वारा प्रो. नवल के पासवान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नोट किया। महाविद्यालयों में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्रकृति को देखते हुए समिति ने उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:

i) नर्सिंग एवं फार्मेसी
ii) अभियांत्रिकी एवं वोकेशनल
iii) अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रमों की प्रकृति और प्रायोगित परीक्षकों के दौरान होनेवाले व्ययों के मद्देनजर नर्सिंग और फार्मेसी, अभियांत्रिकी और वोकेशनल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क, सुधार शुल्क की मौजूदा दरों पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की शुल्क वृद्धि और पुनर्मूल्यांकन शुल्क और संशोधित शुल्क पर हर साल 2% गैर-संचयी बढ़ोतरी करने की सिफ़ारिश की गयी। आगामी प्रवेश सत्र 2019-20 के मद्देनजर विश्वविद्यालय द्वारा समिति की सिफारिशें लागू की गई हैं।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद परिषद ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और आगामी सत्र 2019-20 से इसे लागू करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

परिषद ने प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि के लिए अध्यादेश में प्रावधान का उल्लेख किया जो आधार शुल्क पर 2% है। कुछ सदस्यों ने बताया कि 2% वृद्धि (गैर-संचयी) मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख रही है। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कुलपति को मामले को देखने के लिए एक समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया।

खंड 4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी.11.4.1: फार्मास्यूटिकल रासायनिकी के लिए संशोधित बी.वोक. पाठ्यक्रम विवरणिका

डॉ. सुदर्शन तमांग ने यह मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 1 नवंबर 2018 को जारी कार्यालय आदेश सं. 582/2018 द्वारा फार्मास्युटिकल रासयानिकी के बी.वोक पाठ्यक्रम विवरणिका के संशोधन के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डॉ. सुदर्शन तमांग ने बी.वोक (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में परिषद में एक प्रस्तुति दी और पाठ्यक्रम विवरणिका के संशोधन की आवश्यकता बताई। विचार-विमर्श के बाद, परिषद ने बी.वोक (फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री) के संशोधित पाठ्यक्रम पर विचार किया और शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की।

सीडीसी.11.4.2: चार स्थायी सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

28 जून 2014 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 20वीं बैठक के निर्णय के आधार पर सिक्किम विश्वविद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने वाले महाविद्यालयों का तीन साल में एक बार निरीक्षण दल द्वारा विधिवत निरीक्षण करने की आवश्यकता थी। सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थायी रूप से संबद्ध चार महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक टीमों द्वारा दी गई तारीखों पर यूजीसी के मानदंडों के अनुसार विधिवत निरीक्षण किया गया था:

1. नर बहादुर भण्डारी महाविद्यालय तादोंग	-	18.02.2019
2. हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय 6 माइल, तादोंग	-	20.02.2019
3. लोयोला शिक्षा महाविद्यालय नामची, दक्षिण सिक्किम	-	21.02.2019
4. सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय बुर्तुक, गंगटोक	-	22.02.2019

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों को मंजूरी दे दी और रिपोर्ट में वर्णित चिंताओं के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए संबंधित महाविद्यालयों को रिपोर्ट की एक प्रति भेजने की सलाह दी। इसके अलावा, परिषद ने स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण दल के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए भी कहा।

खंड 5
अध्यक्ष की ओर से विषय

सीडीसी.11.5.1: महाविद्यालयों का असंबद्धता

यह सूचित किया गया कि सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय, हालांकि जिसकी स्थापना 2018 में की गयी थी, अभी भी एक नवजात अवस्था में है और इसे कुछ हद तक कार्यात्मक विश्वविद्यालय बनने से पहले बहुत काम करने की आवश्यकता है। सिक्किम सरकार ने पहले ही सिक्किम विश्वविद्यालय से सरकारी कॉलेजों के संबद्धता समाप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को लिखा है। कुलसचिव ने सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता में छूट के संबंध में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों पर स्पष्ट किया और यह भी सुझाव दिया कि इसे व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को नुकसान न हो। उन्होंने यह भी बताया कि एमएचआरडी ने कुछ समय पहले विश्वविद्यालय के विचार मांगा था और सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सिक्किम के सरकारी महाविद्यालयो को छुट प्रदान करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा था। अब एमएचआरडी ने हमें कार्यकारी परिषद में मामला उठाने के लिए कहा है। कार्यकारी परिषद की बैठक इस महीने के अंत तक निर्धारित है जहां इस विषय पर चर्चा की जाएगी। निजी महाविद्यालयों की संबद्धता पर भी चर्चा की गई।

परिषद ने देखा कि मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार सिक्किम विश्वविद्यालय की संबद्धता से सरकारी महाविद्यालयों को मुक्त करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए एमएचआरडी के साथ बात करनी चाहिए ताकि उन महाविद्यालय सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर सकें। परिषद ने सत्र 2019-20 के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सरकारी महाविद्यालयों की संबद्धता को जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की।

सीडीसी.11.5.2:पूर्ववर्ती सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग (अब नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, तादोंग) में स्नातकोत्तर केंद्र का विस्तार

यह बताया गया है कि तत्कालीन सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग अब नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, तादोंग) को एक समझौते के माध्यम से पांच विषयों अर्थात गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। सिक्किम विश्वविद्यालय और एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के बीच समझौते की वैधता समाप्त हो गई है और नवीकरण की आवश्यकता है।

परिषद ने इस मामले पर विचार किया और संबंधित पक्षों को विस्तार केंद्रों में किए गए प्रवेशों को वैधता प्रदान करने के लिए समझौते को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।

सीडीसी.11.5.3: छात्रों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान

एक सदस्य ने छात्रों द्वारा शुल्क के भुगतान के बारे में चिंता जताई। यह बताया गया कि शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया है जिसमें छात्र डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य डिजिटल लेनदेन द्वारा भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, चालान भुगतान द्वारा शुल्क के भुगतान का प्रावधान बंद कर दिया गया है।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव, सीडीसी

हस्ता./-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष, सीडीसी